आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.92/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2021-22

अतिशय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पीटल प्राईवेट लिमिटेड, 10-ई, एचआईजी कॉलोनी, इंदौर	बनाम	अतिरिक्त संयुक्त आयकर आयुक्त (ए), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएबीसीए 7005 आर PAN- AABCA7005R		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित निवेदन
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	18.06.2024
उद्घोषणा तिथि	18.06.2024

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान अतिरिक्त सहायक आयकर आयुक्त (अपील)-11, मुंबई के आदेश दिनांक 15.12.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 14.06.2024 के द्वारा निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के विरूद्ध वर्तमान अपील दाखिल की थी जिसमें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती की धारा 115बीएए के अधीन पात्रता पर विचार नहीं किया गया था । बाद में सीबीडीटी द्वारा 23.10.2023 को “Condonation of delay under

section 119(2)(b)of the Income Tax Act, 1961 in filing Form 10-IC for Assessment Year 2021-22" के संबंध में परिपत्र सं. 19/2023 जारी किया गया है । इस परिपत्र से संदर्भ में निर्धारिती ने 25.12.2023 को नया फार्म 10आईसी दाखिल किया तथा धारा 143(1) के अधीन संसूचना के आदेश के विरूद्ध 27.12.2023 को परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) आवेदन भी दाखिल किया । उक्त संदर्भ में सीपीसी ने निर्धारिती को धारा 115बीएए के अधीन पात्रता स्वीकृत करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन परिशोधन (रेक्टिफिकेशन) आदेश दिनांक 10.06.2024 पारित किया है । उपरोक्त की दृष्टि में आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल वर्तमान अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं तथा इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 18.06.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 18.06.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल